राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 13020/2012

डॉ. सोना राम बिश्नोई एवं अन्य

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

<u>के साथ</u>

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 13018/2012

डॉ. एच.सी. लुनकर एवं अन्य

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 13021/2012

डॉ. पी.के. दुरानी एवं अन्य

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 13022/2012

डॉ. श्रीमती सावित्री डागा एवं अन्य

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 5645/2013

प्रो. डॉ. डी.के. पुरोहित एवं अन्य

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 5669/2013

प्रो. डॉ. आदित्य प्रकाश

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 6508/2013

प्रो. डॉ. ब्रह्मदत्त शर्मा

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 9319/2013

श्रीमती इरा अग्रवाल एवं अन्य

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 12245/2013

श्रीमती सौभाग्यवती जैन एवं अन्य

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री मनोज भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री ओजस गुप्ता की सहायता से।
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री हिमांशु श्रीमाली
		श्री विनय जैन

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>17/05/2024</u>

1. चूंकि इन याचिकाओं में तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा तय किया जा रहा है। सुविधा के लिए, तथ्यों को सीडब्ल्यूपी संख्या 13020/2012 से लिया जा रहा है।

2. इस याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ 1.1.2006 से छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन की मांग की गई है, जो बकाया सहित सभी परिणामी लाभों के साथ वेतनमान का न्यूनतम 50% पेंशन प्रदान करता है।

3. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर हैं, जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से सेवानिवृत्त हुए थे। वे संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन और पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के बकाया का दावा कर रहे हैं। 1 जनवरी, 2006 को यूजीसी द्वारा निर्देशित छठे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के बावजूद उन्हें वेतन देने से इनकार कर दिया गया था, जिसे विश्वविद्यालय में लागू किया गया था।

3.1. भारत सरकार द्वारा मार्च, 2008 में छठे वेतन आयोग का गठन किया गया था, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतन में संशोधन की योजना से अवगत कराया। राजस्थान राज्य ने बदले में यूजीसी द्वारा जारी छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन का आदेश दिया।

3.2. राज्य सरकार ने 2006 से पहले के राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को संशोधित करने के लिए 1 सितंबर, 2008 को एक ज्ञापन जारी किया।

3.3. भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2010 को जारी एक पत्र, जिसकी प्रतिलिपि विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजी गई थी, के माध्यम से निर्देश दिया गया था कि 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधित की जाए और यह वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी, साथ ही यह उस पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी होगा, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे।

3.4. इस प्रकार याचिकाकर्ताओं की पेंशन छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर संशोधित की गई थी, लेकिन उक्त संशोधन याचिकाकर्ताओं पर 1 अप्रैल, 2008 से लागू किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे 25.04.2012 को राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया तथा सोसायटी द्वारा 9 मई 2012 तथा 25 जून 2012 को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के शासन सचिव को भी एक अन्य अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन को वित्त विभाग के उप सचिव से केवल यही उत्तर मिला कि मामले पर विचार किया जा रहा है तथा उच्च शिक्षा विभाग से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

3.5. यह दलील दी गई है कि संशोधित पेंशन और उसके बकाया भुगतान के बारे में विवाद को इस न्यायालय की खंडपीठ ने प्रोफेसर पी.एम. सिंघवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में रिट याचिका संख्या 10479/2011 में पहले ही समाप्त कर दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ करने और एक महीने की अवधि के भीतर पूरी राशि जारी करने का आदेश दिया गया था।

3.6 इस प्रकार याचिकाकर्ता 1.1.2006 से पेंशन में संशोधन तथा उससे बकाया राशि का दावा कर रहे हैं। जबकि यह निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा 1.4.2008 से किया गया था तथा वास्तविक भुगतान अगस्त, 2010 से अक्टूबर, 2010 के मध्य किया गया था। अतः यह रिट याचिका है।

4. उपरोक्त तथ्यात्मक कथन निर्विवाद रहे हैं। दूसरी ओर, मेरा ध्यान इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा डॉ. भागीरथ मल चितलांगी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11927/2010 में अन्य संबंधित मामलों के साथ 19.04.2011 को दिए गए निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसके विरुद्ध यद्यपि अंतर-न्यायालय अपील के माध्यम से अपील की गई थी, परन्तु डी.बी. अपील खारिज कर दी गई और इसके खिलाफ दायर समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई और उक्त निर्णय अंतिम हो गया।

5. डॉ. भागीरथ मल चितलंगी (सिविल रिट याचिका संख्या 11927/2010) में इस न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> "उपरोक्त सभी रिट याचिकाएं प्रतिवादियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को ग्रेच्युटी, पेंशन और वेतन के बकाया और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान जारी करने के निर्देश देने के लिए दायर की गई हैं।
>
> उपरोक्त रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय में छठे वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ पहले से ही सभी कर्मचारियों को दिया जा चुका है और याचिकाकर्ता जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इसलिए प्रतिवादियों को उचित निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
>
> विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मामले को राज्य सरकार को धनराशि जारी करने के लिए अनुशंसित किया गया है और अभी भी विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारण से उत्पन्न बकाया का भुगतान करने के लिए धन की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए विश्वविद्यालय की ओर से कुछ नहीं कहा जाना है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामला राज्य सरकार के पास प्रक्रियाधीन है तथा कुछ समय में धनराशि जारी कर दी जाएगी।

मामले की प्रासंगिक परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय की जयपुर पीठ की खंडपीठ ने डी.बी. सिविल रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1914/2010, सेवानिवृत्त कृषि व्याख्याता कृषि विश्वविद्यालय कर्मचारी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित किया है:

> "विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादियों द्वारा इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन और उसके बकाया के हकदार हैं, प्रतिवादी विश्वविद्यालयों और राजस्थान राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वे उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देय सभी लाभों सहित सभी बकाया राशि का भुगतान तीन महीने की अवधि के भीतर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करें।"

मेरा मानना है कि यह न्यायालय 24.09.2010 के आदेश में डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपना सकता।

तदनुसार, उपरोक्त रिट याचिकाएं खंडपीठ के उपरोक्त निर्णय के अनुसार स्वीकार की जाती हैं, साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के तहत निर्धारण से उत्पन्न सभी बकाया राशि का भुगतान

करने के उद्देश्य से धनराशि जारी करे, जो इस न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1914/2010 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2010 के अनुसार इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर जारी की जाए। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि भुगतान न करने की स्थिति में याचिकाकर्ता 9% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के हकदार होंगे।

6. उपरोक्त निर्णय और वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान से देखने के बाद, मेरी राय है कि यह निर्णय याचिकाकर्ताओं के मामले को पूरी तरह से कवर करता है।

7. इस आधार पर, इन याचिकाओं का निपटारा डॉ. भागीरथ मल चितलंगी, उपरोक्त में दिए गए निर्णय के अनुसार होने वाले परिणामों के साथ किया जाता है।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।